न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 2022/52

सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

इन्द्राज पुत्र सुखराम जाति सुथार खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः–03.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी इन्द्राज पुत्र सुखराम जाति सुथार तहसील नोहर द्वारा ग्राम खरसण्डी के ख.न. 6 की गै.मु. चारागाह भूमि में **0.0929** है0 नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी स्वंय को तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी हाजिर नही आया। अप्रार्थी को बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थी उपस्थित नही। अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है एवं अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थी को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर लगभग तावान राशि 50/–रू. से दण्डित किया जाता है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को अलग से आदेश जारी हो की संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग एवं ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पाबद करें (राजस्थान पंचायती राज नियम 165(5) के अनुसार चारागाह भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के सभी ऐसे मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को प्रकरण दर्ज करने और अतिक्रमियों को बेदखली की कार्यवाही ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ की जायेगी)

भू अभिलेख निरीक्षक जबरासर को आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar
Date: 2022.04.30 12:50:56 IST
Reason: SelfAttested

(रामकुमार [illegible])
तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ